योजना दस्तावेज

"मिश्रित कार्प पालन–एक रोजगारपरक व्यवसाय"

जिला सहकारी मत्स्य विकास एंव विपणन फैडरेशन लि0, हरिद्वार

परिचय

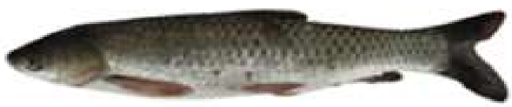

ग्राश कार्प

कॉमन कार्प

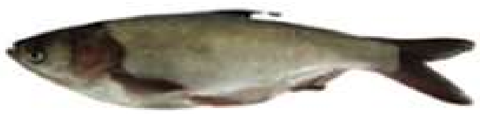

सिल्वर कार्प

रोहू

मिश्रित मछली पालन, मछली पालन की वह तकनीक है जिसमें अलग-अलग प्रकार की मछलियों का पालन किया जाता है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि चयन की गई मछलियां तालाब में उपलब्ध सभी भोज्य पदार्थों एवं पूर्ण जलक्षेत्र का अधिकतम प्रयोग कर सकें। संक्षेप में कहे तो ये बिलकुल मिश्रित खेती जैसा ही है जहां एक खेत में कई प्रकार की फसलों को एक साथ उगाया जाता है। उत्पादन में बढ़ोतरी और आय बढ़ाने की दृष्टि से मिश्रित मछली पालन की अहम भूमिका है।

मिश्रित मत्स्य पालन के अंतर्गत छः बड़ी कार्प मछलियों का पालन किया जाता है इनमे तीन देशी बड़ी कार्प-कतला, रोहू एवं मृगल हैं तथा तीन विदेशी कार्प - सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एवं कॉमन कार्प शामिल हैं।

मिश्रित मछली पालन से होने वाले लाभ

इस विधि में उपलब्ध जल के संपूर्ण क्षेत्र का भरपूर उपयोग होता है।

- तालाब के विभिन्न तलों में उपलब्ध प्राकृतिक भोज्य पदार्थों का अधिकतम इस्तेमाल मछलियों द्वारा किया जाता है।
- विभिन्न नितलों में रहने के कारण कृत्रिम आहार का हर नितल पर भरपूर सेवन होता हैए जिससे आहार की व्यर्थता न्यूनतम होती है।
- ग्रास कार्प जैसी मछलियों का अपशिष्ट तालाब उर्वरीकरण के लिए उत्तम खाद के रूप में काम आता है।

उत्तम प्रजातियां

संचयन हेतु उन मछलियों की किस्मों का चयन किया जाना चाहिए जिनकी भोजन की आदत एक-दूसरे से अलग हो, जो तालाब के प्रत्येक हिस्से पर पाए जाने वाले भोज्य पदार्थ का प्रयोग कर सके तथा कम समय में तेजी से बढ़ती हो।

मिश्रित पालन में पाली जाने वाली विभिन्न कार्प प्रजातियाँ एवं उनकी जैविक प्रवर्ति निम्नलिखित हैं

प्रजाति	जल सतह में वास	भोजन की प्रकृति
कतला	ऊपरी सतह	जन्तु पल्वक (बहुत सूक्ष्म जन्तु)
रोहू	मध्य सतह	जलीय पौधे
मृगल (नैनी)	निचली सतह (तलहटी)	सभी तरह के भोजन एवं अर्ध सड़े भोजन
सिल्वर कार्प	ऊपरी सतह	वनस्पति पलवक
ग्रास कार्प	मध्य सतह	जलीय पौधे
कॉमन कार्प	निचली सतह (तलहटी)	सभी तरह के भोजन एवं अर्ध सड़े भोजन

मिश्रित मछली पालन के आवश्यक चरण

मिश्रित मछली पालन पुराने तालाबों के जीर्णोद्धार करके अथवा नए तालाबों का निर्माण करके शुरू किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए

स्थल का चयन

- स्थल के करीब जल एवं बिजली की सुविधा होनी चाहिए। स्थल परिवहन के लिए सुगम मार्ग के करीब होना चाहिए।
- ऐसी मिट्टी जिसमें पानी रोकने की क्षमता हो तालाब निर्माण के लिए चिकनी, बलुई तथा रेतीली मिटटी का मिश्रण मछली पालन के लिए अच्छी मानी जाती है ।

तालाब निर्माण

तालाब का आकर आयतकार रखना चाहिए तथा पूरब पश्चिम दिशा में होना चाहिए ताकि तालाब ज्यादा से ज्यादा हवा और धूप मिल सके। लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 1 :3 होना चाहिए।

- उपलब्ध जमीन का 70 -75 प्रतिशत भाग को तालाब के जलक्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहिये तथा शेष भाग बांध निर्माण के लिए रखना।

- तालाब के सभी बांध मजबूत और पानी का प्रवेश एवं निकास का रास्ता सुरक्षित होना चाहिए ताकि बारिश के मौसम में तालाब को नुकसान नहीं पहुंचे। वहीं तालाब में पानी के आने-जाने का रास्ता इस प्रकार से हो कि बाहरी मछलियों का प्रवेश तालाब में नहीं हो पाए और न ही तालाब की संचित मछलियां बाहर जा सके।

- तालाब की औसत गहराई 4 से 6 फ़ीट होनी चाहिए यदि वर्षा के पानी पर आधारित तालाब है तो गहराई 8 से 10 फ़ीट रखी जा सकती है।

पुराने तालाबों की तैयारी

- तालाब में उगे जलीय पौधों में मछलियों के शत्रुओं को आश्रय मिलता ही है साथ ही ये तालाब की उर्वरकता को सोख लेते हैं तथा जल के संचयन में बाधा डालते हैं। इसके लिए तालाब की अच्छे से सफाई करवा लेनी चाहिए।

- परभक्षी मछलियां को तालाब में जाल बिछाकर या तालाब का पूरा पानी निकलकर बाहर किया जा सकता है।
-
- तालाब के पानी को थोडा क्षारीय होना मछली की वृद्धि एवं स्वास्थ्य हेतु अच्छा होता है। सामान्यत: 100 किलोग्राम भाखरा चूना का प्रति एकड़ जलक्षेत्र में छिडक़ाव मत्स्य बीज संचयन के करीब 10 से 15 दिन पहले कर दिया जाना चाहिए। 50 कि.ग्रा. का प्रयोग सर्दी शुरू होने एवं 50 कि.ग्रा. चूना का प्रयोग गर्मी के मौसम प्रारंभ होने पर करना अच्छा रहता है। अधिक अम्लीय जल वाले तालाबों में और भी अधिक भखरा चूना की आवश्यकता होती है।

- जिस तालाब में मछली पालन किया जा रहा है उस तालाब के पानी का पीएच मान 7.5 से 8.0 के बीच होना चाहिए। यदि पानी का पीएच इससे कम है तो पानी में चूने की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए जब तक पीएच मान 7.5 से 8.0 के बीच न हो जाए। पानी की क्षारीयता की जांच बाजार में उपलब्ध पी.एच. इंडिकेटर द्धारा आसानी से की जा सकती है।

मिट्टी एवं जल की गुणवत्ता

मिश्रित मत्स्य पालन शुरू करने से पूर्व मिट्टी एवं जल की गुणवत्ता जाँचना आवशयक है। इसके लिए निम्लिखित मापदण्ड हैं।

मिट्टी	
रेत (सैंड)	50-70 %
तलछट (सिल्ट)	15-25 %
मिट्टी (क्ले)	7-20%
कार्बनिक कार्बन	0.5-2%
उपलब्ध नाइट्रोजन	20-75 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम
उपलब्ध फॉस्पोरोस	2-10 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम
पानी	
रंग	हल्का हरापन
तापमान	25-30 डिग्री सेल्सियस
पारदर्शिता	8-15 सेंटीमीटर
पी एच	7-8.5
घुलनशील ऑक्सीजन	4-10 मिलीग्राम प्रति लीटर
अमोनिआ	0.1 पी पी एम

मत्स्य बीज संचयन

- साधारणत: सम्मिलित रूप से 2500 की संख्या में 3" से 4" आकार के मत्स्य बीज इयरलिंग प्रति एकड़ जलक्षेत्र के दर से संचयन किया जाना चाहिए। इयरलिंग उपलब्ध ना होने पर या 4000-5000 की संख्या में 1 " से 2" आकार के मत्स्य बीज का संचयन प्रति एकड़ किया जा सकता है।

- कतला मछली 10 प्रतिशत, रोहू 25 प्रतिशत, मिर्गल 10 प्रतिशत, कामन कार्प 20 प्रतिशत, ग्रास कार्प 10 प्रतिशत, सिल्वर कार्प 25 प्रतिशत प्रति हैक्टैयर के अनुपात के हिसाब संचयन करना चाहिए।

- कई बार ऐसा होता है कि ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प का बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है तो ऐसी दशा में शेष चार प्रजाति कतला, रोहू, मिर्गल और कामन कार्प का संचयन कर सकते हैं इसके लिए कतला का 40 प्रतिशत, रोहू 30 प्रतिशत, मिर्गल 15 प्रतिशत, कामन कार्प 15 प्रतिशत होना चाहिए।

परिपूरक आहार एवं भोजन की मात्रा

मछलियों को तालाब में खाद डालने से प्राकृतिक आहार मिलता है पर सघन मत्स्य पालन में प्राकृतिक आहार के अलावा परिपूरक आहार देना जरुरी होता है इससे मछलियों की शीघ्र वृद्धि एवं अधिक उत्पादन होता है तथा तालाब का पानी जल्दी दूषित नहीं होता है।ग्रास कार्प के लिए तालाब में परिपूरक आहार के रूप में बरसीम, घास, केले, मकई, बाजरा के पत्ते देने चाहिए। ग्रास कार्प अपने वजन के 2-3 गुना प्रतिदिन खा जाती है।

मछलियों के शारीरिक भार के हिसाब से फीड का उपयोग करने वाले मत्स्य पलकों की सुविधा हेतु आहार तालिका निम्न है: -

मछली शारीरिक भार (gm)	दानों का आकार (mm)	प्रतिशत भोजन (शारीरिक भार का)	प्रोटीन की मात्रा भोजन में
5-10	1.2	5%	32%
10-20	1.8	4%	30%
20-40	2.5	4%	28%
40-75	3	3.5%	24%
75-150	4	3%	24%
150-400	4	3%	20%
400-700	4	2%	20%
7000-1000	4	1%	20%

पालान करते समय हर 15 दिन के अन्तराल में जाल चला कर तालाब में मछलियों के वजन का आकलन कर आहार मात्रा निर्धारित करनी चाहिए ।

हार्वेस्टिंग एवं विपणन

कार्प प्रजाति की मछलियाँ ठंडे मौसम में भी तालाबों में रह सकती हैं इसलिए इनकी निकासी एवं विपणन एक साथ न करके बीज डालने के 8-10 माह पश्चात समय-समय पर बाजार की मांग के हिसाब से करते रहना चाहिए। वर्षभर मछली लगातार पैदा करने के लिये निकली गयी मछलियों की संख्या और अनुपात के अनुसार अतिरिक्त बीज डालते रहना चाहिए।

उपज

मिश्रित मछली पालन विधि में मत्स्यपालक एक एकड़ तालाब में साल में कम से कम 25 कुंतल उत्पादन ले सकता है। प्राय: 10-12 माह में कतला एवं सिल्वर कार्प 800-900 ग्राम, रोहू एवं नैनी 500-600 ग्राम तथा कॉमन और ग्रास कार्प 1-1.5 किलो की हो जाती है।

UKCDP परियोजना अंतर्गत सहकारी मत्स्य जीवि समितियों के माध्यम से कार्प पालन

जिला मत्स्य पालन एवं विपणन फेडरेशन (मत्स्य पालन विभाग, उत्तराखण्ड) UKCDP परियोजना अंतर्गत मत्स्य जीवि समितियों का गठन कर पंगास पालन योजना पर कार्य कर रहा है। योजना के प्रथम चरण में हरिद्धार जिले की सहकारी मत्स्य जीवी समितियों के माध्यम से पंगास पालन एवं इसकी मार्केटिंग का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 7 समितियों के 77 मत्स्य पालकों द्धारा लगभग 8 हेक्टेयर जलीय क्षेत्र में कार्प पालन किया जा रहा है। UKCDP परियोजना अन्तर्गत मत्स्य जीवि समितियों को तालाब सुधार, बिजली-पानी की व्यवस्था, तालाबों की घेरबाड़ , बीज एवं फीड, निगरानी कक्ष आदि आवश्यक सामग्री हेतु ऋण् उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में समितियों के द्धारा लगभग 10 टन कार्प का उत्पादन किया गया जिसकी मार्केटिंग फेडरेशन के द्धारा की गयी।

कार्प उत्पादन की क्रियान्वन योजना

- जिला मत्स्य पालन एवं विपणन फेडरेशन (मत्स्य पालन विभाग, उत्तराखण्ड) की मत्स्यजीवि समितियों के माध्यम से अगले 8 वर्षों में 112 एकड़ (45 हेक्टेयर) भूमि पर जल क्षेत्र विस्तार कर कार्प उत्पादन की योजना है।
- वर्तमान में कार्प मत्स्य बीज़ उत्पादन मत्स्य विभाग द्धार स्थापित कार्प हैचरीयों में किया जा रहा है। अलग अलग प्रजातियों का बीज का उत्पादन मई से लेकर अगस्त माह तक होता है। मछली बीज का संचयन इसी दौरान नर्सरी तालाबों में किया जायेगा।
- नर्सरी तालाबों में तैयार फिंगरलिंग (3 माह बाद) और स्टंटेड बीज़ (8-10 माह बाद) तय संख्या एवं अनुपात से स्टॉकिंग तालाबों में संचयित किया जायेगा।
- कार्प मछलियों की हार्वेस्टिंग एक साथ न करके बीज डालने के 8-10 माह पश्चात बाजार की मांग के हिसाब हर चार माह के अंतराल पर किया जायेगा। वर्षभर मछली लगातार पैदा करने के लिये निकली गयी मछलियों की संख्या और अनुपात के अनुसार अतिरिक्त बीज डाले जायेंगे। इस प्रकार से एक वर्ष में 3 बार हार्वेटिंग करवाई जाएगी।
- कार्प मछलियों का प्रति एकड़ उत्पादन समान्यतः 25 कुंतल अनुमानित है पर मत्स्यपालक ’बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज’ अपनाकर औसत से अधिक उत्पादन ले सकते हैं।

सहकारी मत्स्य जीवि समितियों के माध्यम से कार्प पालन एवं मार्केटिंग योजना के मुख्य बिंदु

- UKCDP योजना अंतर्गत भूमिहीन मत्स्य पलकों का चयन किया गया है ऐसे मत्स्य पालकों को निजी या समिति बना कर ग्राम समाज के तालाबों को कम से कम दस साल के लिए पट्टे पर लेना होगा। भूमिधर किसान भी समितियों का गठन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

- चयनित समितियों का सर्वप्रथम ज़िला मत्स्य पालन एवं विपणन फेडरेशन के साथ रजिस्टर्ड अनुबन्ध होगा। अनुबन्ध के अनुसार फेडेरशन समितियों को आधारभूत संरचना निर्माण, बीज, फ़ीड का उचित आंकलन कर UKCDP योजना के माध्यम से ऋण् दिया जायेगा। मछलियों की निकासी कर बिक्री फेडेरशन के मध्यम से की जायेगी।
- फेडेरेशन मत्स्य उत्पादन हेतु आवश्यक तकनीकी सहयाता उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए फेडेरेशन विशेषज्ञ की सेवाएं ली जाएंगी जिसका खर्च फेडरेशन वहन करेगी।
- फेडेरशन समितियों के यहाँ बाजार हेतु तैयार मछली के स्टॉक का आंकलन कर उसके हार्वेस्टिंग, पैकजिंग, कोल्ड चेन परिवहन एवं विपणन में मदद करेगा। इन सब जरूरतों को पूरा करने का खर्च समिति द्धारा उत्पादन के विक्री से पूरा किया जायेगा।
- उत्पादन को पहले नजदीकी मत्स्य मंडी में एकत्रित किया जायेगा यहाँ पर एक सुपरवाइजर रखा जायेगा जो की समिति /मत्स्य पालकों के उत्पादन के आंकड़े रखने एवं विपणन में मदद करेगा। सुपरवाइजर का खर्च फेडरेशन वहन करेगा।
- मत्स्य विपणन दो प्रकार से किया जायेगा - (1) **थोक**: फेडेरशन समितियों के माध्यम से संचालित मत्स्य मण्डी में बोली लगा कर बड़े एवं छोटे व्यपारियों को उत्पादन बेचेगा और (2) **फुटकर**: फेडरेशन, 'उत्तराफिश' के स्टाल और फ्रेंचाइजी के माध्यम से देहरादून एवं अन्य शहरी क्षेत्रों में तथा 'मोबाइल रिटेल आउटलेट' से रिहायशी इलाकों में मछली एवं उसके मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार कर विपणन करेगा।
- मत्स्य विपणन में आने वाले परिचालन व्यय को फेडरेशन समितियों /मत्स्यपालकों से आय का 10 प्रतिशत शुल्क के रूप में लेगा।
- फेडेरशन, मत्स्य विभाग एवं अन्य विभागों के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनओ के कन्वर्जेन्स से मत्स्य पालक समितियों को आवशयक आधारभूत ढाँचा निर्माण, इन्पुट्स में सब्सिडी उपलब्ध कराकर मत्स्य पालन की लागत कम कर लाभ में बढोतरी के लिए प्रयास करेगी।

भूमिका एवं जिम्मेदारियां

- इस बिज़नेस मॉडल एवं पूरी परिक्रिया में दोनों मत्स्यपालक समितियां और फेडेरशन अहम् भूमिका में होंगे । जहाँ मत्स्यपालकों की जिम्मेदारी, तालाब में मछली तैयार करना, तालाबों का रख-रखाव और दैनिक कार्यों में श्रम की होगी वहीँ फेडेरशन के द्धारा मछली के स्टॉक का आंकलन कर उसके हार्वेस्टिंग, पैकजिंग, कोल्ड चेन परिवहन एवं विपणन का कार्य किया जायेगा।
- फेडेरशन तालाब निर्माण एवं अन्य आधारभूत ढांचों के निर्माण की तकनीकी पूर्ण करये जाने में मदद करेंगे । इसके अलावा फेडेरशन, बीज़ एवं फ़ीड की गाुणवन्तापूर्ण सामग्री प्राप्त करने में समितियों की मदद करेगा।
- फेडेरशन तकनीकी विशेषज्ञ की मदद से तालाबों का विभन्न मछली प्रजातियों एवं मत्स्य बीज संख्या,एवं कुल मत्स्य फीड राशन का आंकलन करेगा।

- फेडरेशन समय समय पर मत्स्य पलकों को तकनिकी संस्थान के सहयोग से प्रशिक्षण एवं बड़े उद्यमियों के तालाबों का एक्सपोजर विजिट करवाएगा।
- फेडेरशन मत्स्य उत्पादन की गाुणवन्ता को बरक़रार रखने एवं अधिक समय तक बनाये रखने हेतु आइस प्लांट, प्रशीतित वैन, एवं कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध करवाकर बाजार सुनिश्चित करेगा।
- कार्प उत्पादन का मत्स्य जीवी समितियों के माध्यम से पालन का 'एक एकड़ ' मॉडल तैयार किया गया है इसमें औसत 25 कुंतल एक फसल चक्र यानि 10-12 माह में उगाने का लक्ष्य है। मछली की निकासी बीज संचयन के 10 माह बाद हर चौथे माह ग्रेडिंग करके होगी इस प्रकार एक वर्ष में तीन बार निकासी एवं बीज संचयन होगा। बाजार में कार्प की अनुमानित फूटकर क़ीमत रू 110-150 प्रति किलो ग्राम रहती है।
- यदि मत्स्यपालक एक फसलवर्ष में एक एकड़ (छ : बीघा) के तालाब से कार्प मछलियों का पालन करता है तो 5 वर्षीय कुल लागत एवं लाभ विश्लेषण के अनुसार शुद्ध लाभ 5 वर्षों में लगभग 5.8 लाख रु होगा। प्रति एकड़ कार्प मछली का उत्पादन लगभग 25 कुंतल होगा।

परियोजना के संभावित प्रभाव

- भूमिहीन मत्स्य पालक ग्राम समाज के गंदे तालाबों का जीर्णोद्धार करवाकर एवं भूमिधरी मत्स्यपालक बंजर भूमि पर तालाब निर्माण करवाकर पंगास का सघन पालन कर अपनी आय को सुद्दढ़ कर सकते हैं।
- कार्प मछली की प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर बड़ी मांग रहती है। मौजूदा समय में प्रदेश के मैदानी ज़िलों हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में कार्प का उत्पादन किया जा रहा है। परंतु इसके उत्पादन की अपेक्षा मांग अधिक होने के कारण इसका आयात अन्य प्रदेशों से भी किया जा रहा है। मत्स्य जीवी समितियों के माध्यम से कार्प पालन कर बाज़ार की मांग को पूरा किया जा सकेगा इससे मत्स्य पालकों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
- समितियों के तालाबों से तैयार कार्प मछली मछलियों को उत्तराफिश के ब्रांड से एक नयी पहचान मिलेगी।
- जिन्दा अवस्था में कार्प मछली मछली का विक्रय संभव है ऐसा करने से एक ओर मछली का अधिक दाम मिलेगा वहीँ ग्राहकों को ताज़ा मछली खाने को उपलब्ध होगी।
- कार्प मछली के मूल्य संवर्धित उत्त्पाद जैसे आचार बना कर बड़े स्टोर्स में बेचा जा सकता है इससे उत्पाद की अच्छी कीमत मत्स्यपालकों को मिल सकेगी।

प्रश्नोतर

1. इस योजना का लाभार्थी कौन कौन और कैसे हो सकता है?
   उत्तर:- सहकारी मत्स्यजीवी समितियों के सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यदि कोई मत्स्य पालक समिति का सदस्य नहीं है और इस योजना का लाभ लेना चाहे तो वह समिति की सदस्यता प्राप्त कर इससे जुड़ सकता है। इच्छुक मत्स्यपालक

समिति द्धारा प्रस्तावित अनुबंध में अंकित नियमों एवं शर्तों पर सहमति प्रदान कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

2. क्या मत्स्य पालक के पास स्वयं की भूमि अथवा तालाब होना आवश्यक है?

उत्तर:- नहीं, भूमिहीन मत्स्यपलक ग्राम समाज के तालाबों को कम से कम दस साल के लिए पट्टे पर ले कर कार्य कर सकते है।

3. मत्स्य पलकों को इस योजना से जुड़ने से क्या लाभ होगा?

मत्स्यपालकों को इस योजना से निम्न लाभ संभव हैं:

- मत्स्य पालन क्षेत्र में अधिकांश मत्स्यपालक छोटे और सीमांत हैं। कम व्यक्तिगत उत्पादन के कारण, इन मत्स्यपालकों को कई मुद्दों का सामना करना पड़ता है, जैसे उत्पादन स्तर और संबंधित क्रेडिट सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सीमित निवेश, गुणवत्ता वाले बीज और फ़ीड तक पहुंच की कमी और बाजारों तक कम पहुंच, जिससे कम लाभ मार्जिन होता है। इसके अलावा, उपज से बाजार के बीच कुछ मध्यस्थों की उपस्थिति के कारण, प्राथमिक उत्पादक को उस मूल्य का केवल एक छोटा सा हिस्सा प्राप्त हो सकता है।
- जिन तालाबों की बंदोबस्ती अकेला मत्स्यपालक नहीं ले सकता वहां वे सहकारी समिति बनाकर आसानी से कम खर्च में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार मिल-जुल कर मछली उत्पादन करने से सदस्यों के साथ साथ समिति को लाभ होगा।
- सहकारी मत्स्य जीवी समितियाँ UKCDP योजना से तालाब सुधार, इनपुट एवं क्रियाशील पूँजी इत्यादि के लिए ऋण प्राप्त कर सकती है।
- तालाबों से अधिक से अधिक मत्स्य उत्पादन हो इसके लिए फेडेरशन द्धारा विशेषज्ञ परामर्श मिलेगा।
- मत्स्य विपणन फडरेशन के माध्यम से किया जायेगा। जिससे मत्स्य पलकों को मछली का सही दाम मिल सकेगा।
- मत्स्यपालकों को समय पर गुणवक्तापूर्ण फ़ीड एवं सीड की उपलब्ध्ता सुनिश्चित होगी।
- समिति के माध्यम से कार्य करने में लागत घटेगी एवं प्रति व्यक्ति अधिक मुनाफा मिलेगा।

Filename:	final mix carp scheme document
Directory:	G:\Final Scheme Document
Template:	C:\Users\aman\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:	
Subject:	
Author:	Windows User
Keywords:	
Comments:	
Creation Date:	23-Aug-22 3:41:00 PM
Change Number:	2
Last Saved On:	23-Aug-22 4:54:00 PM
Last Saved By:	Windows User
Total Editing Time:	68 Minutes
Last Printed On:	23-Aug-22 10:17:00 PM

As of Last Complete Printing

Number of Pages: 10

Number of Words: 2,218 (approx.)

Number of Characters: 12,648 (approx.)